मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– संजय कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 249/2023

1. अमित कुमार पुत्र लीलाधर जाति बिश्नोई निवासी शेरेकां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

––वादी

बनाम्

1. प्रियंका पुत्री लीलाधर पत्नी विनोद कुमार जाति बिश्नोई निवासी शेरेकां हाल महराजपुरा अबोहर तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।
2. सरलादेवी पत्नी लीलाधर जाति बिश्नोई निवासी शेरेकां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. लीलाधर पुत्र फूसाराम जाति बिश्नोई निवासी शेरेकां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

––प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :–88 आर.टी.ए.घोषणा

निर्णय

दिनांक :– 20.06.2024

वादी की ओर से श्री करनैल सिह अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री सुभाषचन्द्र गर्ग की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 20.06.2024 को संजय कुमार उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

चक नंम्बर 5 केएसपी के खाता संख्या 4/84 में कुल 5.224 हैक्टेयर में से प्रतिवादीया संख्या 1 के 1/2 हिस्सा में से .253 हैक्टेयर आराजी वादी अमित कुमार व शेष 2.359 हैक्टेयर आराजी प्रतिवादीया संख्या 2 सरलादेवी को तथा चक नंम्बर 1 एच. एम.एच के खाता सख्या 7/89 में कुल 1.385 हैक्टेयर में से प्रतिवादीया संख्या 1 के 1/2 हिस्सा मे से वादी अमित कुमार को .253 है0 व शेष 0.4395 हिस्सा प्रतिवादीया संख्या 2 सरलादेवी को तथा चक नंम्बर 3 एस.एस.डबल्यू के खाता संख्या 4/74 में कुल 1.895 हैक्टेयर में प्रतिवादीया संख्या 1 के 1/2 हिस्सा की आराजी मे से वादी अमित कुमार को .253 हैक्टेयर तथा शेष 0.6945 हैक्टेयर आराजी की प्रतिवादीया संख्या 2 सरलादेवी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नंम्बर 5 केएसपी के खाता संख्या 4/84, चक नंम्बर 1 एच.एम.एच के खाता संख्या 7/89, चक नंम्बर 3 एस.एस.डबल्यू के खाता संख्या 4/74 में से प्रतिवादीया संख्या 1 प्रियकां का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें [illegible]र का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 20.[illegible].2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.05 11:51:25 IST
Reason: SelfAttested

मुहर

(संजय कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी